न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान महावीर प्रसाद स्वामी बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 565 / 2025
निर्णय दिनांक 15 / 12 / 2025

महावीर प्रसाद स्वामी पुत्र मूलदास जाति स्वामी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा राजपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 362 के खसरा नं. 1076 / 446 तादादी 6.0064 हेक्ट., भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम महावीर पुत्र मूलदास दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम महावीर प्रसाद स्वामी पुत्र मूलदास है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में नाम महावीर प्रसाद स्वामी पुत्र मूलदास है। राजस्व रिकार्ड में भिन्न नाम होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये प्रार्थी उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्रार्थी का नाम महावीर पुत्र मूलदास के बजाय महावीर प्रसाद स्वामी पुत्र मूलदास किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम महावीर पुत्र मूलदास के स्थान पर महावीर प्रसाद स्वामी पुत्र मूलदास किये जाने की अनुशंषा की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित पटवारी की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड में प्रार्थी का नाम महावीर प्रसाद स्वामी पुत्र मूलदास पाया जाता है। राजस्व रिकार्ड में प्राथी का नाम महावीर पुत्र मूलदास अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना संभव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा राजपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 362 के खसरा नं. 1076 / 446 तादादी 6.0064 हेक्ट., भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम महावीर पुत्र मूलदास Delete कर इसके स्थान पर महावीर प्रसाद स्वामी पुत्र मूलदास अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Rajendra

राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)